

## Scope of Social Security Appeal

1. An appeal can be lodged with the Social Security Appeal Board (the Board) against the decision(s) of the Director of Social Welfare in respect of any of the following matters under the Comprehensive Social Security Assistance, Social Security Allowance and Traffic Accident Victims Assistance Schemes :-
  - (i) the refusal of any payment;
  - (ii) the amount of payment offered;
  - (iii) the date from which payment was offered;
  - (iv) the issuing of payment to a person other than the applicant.

## Appellants

2. The following categories of persons have the right of appeal:
  - (i) an applicant for or a recipient of a social security benefit under any one of the schemes mentioned above (who may delegate his next-of-kin through the power of attorney to lodge the appeal on his behalf);
  - (ii) an appointee acting on behalf of an applicant or a recipient who is aged below 18 or who has been medically certified to be unfit to make a statement on his own;
  - (iii) the executor or the administrator, as proven by the production of "probate" or "letters of administration" granted respectively by the Court as evidence that he is a lawfully appointed personal representative of a deceased applicant or recipient;
  - (iv) the Official Administrator (the Registrar of the Court) administering the estate of a deceased applicant or recipient in a summary manner.

## Constitution of the Board

3. The Chairman and members of the Board are non-officials appointed by the Chief Executive. An official of the Social Welfare Department is appointed by that Department to serve as Secretary to the Board who is responsible for providing secretarial services to the Board. The Secretary to the Board will also attend hearings, but he will not take part in decision making since he is not a member of the Board.

## Appeal Procedures

4. An appeal by an applicant, a recipient (or his next-of-kin appointed through the power of attorney) or an appointee must be lodged within four weeks from the date of notification of the decision from the Director of Social Welfare. An appeal by the personal representative of a deceased applicant or recipient must be lodged within four weeks from the date of a grant of "probate" or "letters of administration" by the Court. In the case of summary administration by the Official Administrator, an appeal must be lodged within four weeks from the date of the getting in of the estate. The Chairman of the Board may allow late appeals if he considers that there were acceptable reasons for the delay.
5. To lodge an appeal, the appellant is required to complete an appeal form (in either English or Chinese) and forward it to the office of the Social Security Appeal Board or the Social Welfare Department Headquarters or any of the Social Security Field Units or the Traffic Accident Victims Assistance Section of the Social Welfare Department. (The addresses and telephone numbers are given in the Appendix.) Appeal forms are available at these offices and can also be downloaded from the Social Welfare Department homepage (<http://www.swd.gov.hk>).
6. If the appellant wishes to withdraw his appeal, he should complete and sign a withdrawal form.

## Departmental reviews

7. When an appeal is received, the Secretary to the Board will examine the case. If it appears to him that there are sufficient grounds for a departmental review before the case is submitted to the Board, he will ask the supervisor of the Social Security Field Unit concerned or the Traffic Accident Victims Assistance

Section to review the case. If the supervisor decides to vary the decision, the appellant will be notified in writing of the new decision as well as his right to appeal against it. If the appellant is satisfied with the new decision, he may withdraw the appeal. If he remains dissatisfied, he may appeal against the new decision.

## Processing of appeals

### Appeals not involving the result of a medical assessment

8. The Board will normally hear the case within one month from the date of receipt of the appeal.
9. Both the appellant and the Director of Social Welfare are given the opportunity to present their case in writing prior to the hearing.
10. At the hearing, the appellant may choose to put forward his case personally and, subject to the appellant's request in writing and the consent of the Board, a friend or relative may also speak on his behalf. The Director of Social Welfare may also be represented at the hearing. No other persons will be allowed to be present at the hearing, and there will be no legal representation.
11. Hearings are informal and conducted in a language convenient to the appellant.

### Appeals involving the result of a medical assessment

12. The Board will arrange with the Hospital Authority for the applicant or recipient to undergo a medical assessment to be processed by the Medical Assessment Board for social security appeals.

### Decisions of the Board

13. The Board will either confirm the decision appealed against or vary that decision provided that such a decision conforms to approved social security policy.
14. Except for appeals which require the decision of a medical assessment board, the Board will reach a decision on an appeal on the basis of the facts presented to the Board. Its decision on a particular case will not constitute a precedent either for the Director of Social Welfare or for other cases coming before the Board.
15. In respect of appeals which require the decision of a medical assessment board, the Board will give its decision on the basis of the decision of the Medical Assessment Board for social security appeals.
16. The decision of the Board is final and the appellant has no further right of appeal. The Board, however, has the right to review its own decision when necessary.

### Notification of Decisions

17. In respect of appeals which do not require the decision of a medical assessment board, the appellant and the Director of Social Welfare will be notified in writing of the decision of the Board normally within three weeks after the hearing. The Chairman of the Board may give reasons for the Board's decision if he so wishes, but is not obliged to do so.
18. In respect of appeals which require the decision of a medical assessment board, the appellant and the Director of Social Welfare will be notified in writing of the decision of the Board normally within three weeks after the receipt of the decision of the Medical Assessment Board for social security appeals.

## Travelling Expenses incurred by Appellants

19. Appellants may claim reimbursement of travelling expenses incurred in lodging appeals and in attending Board hearings at the office of the Social Security Appeal Board. The amount of fares they can claim is limited to that charged by the cheapest mode of transport. However, claims in respect of a more expensive form of transport may be allowed for disabled appellants or appellants with mobility difficulties.



# सामाजिक सुरक्षा अपील के लिए एक मार्गदर्शिका A Guide to Social Security Appeals





## सामाजिक सुरक्षा अपील का दायरा

1. व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता और यातायात दुर्घटना पीड़ित सहायता योजनाओं के तहत नीचे लिखे किसी भी मामले के संबंध में समाज कल्याण के निदेशक के निर्णय (निर्णयों) के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा अपील बोर्ड (बोर्ड) में अपील दायर की जा सकती है:-
  - (i) किसी भी भुगतान से इंकार;
  - (ii) प्रस्तावित भुगतान की राशि;
  - (iii) वो तारीख जिससे भुगतान की पेशकश की गई थी;
  - (iv) आवेदक की बजाय किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान जारी करना।

## अपीलकर्ता

2. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार है:
  - (i) उपरोक्त वर्णित योजनाओं में से किसी एक के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए एक आवेदक या प्राप्त करने वाले को (जो अपनी तरफ से अपील दायर करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपने रिश्तेदार को सौंप सकता है);
  - (ii) एक आवेदककर्ता या लाभार्थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है या जिसको चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया है कि वह अपने स्वयं के लिए बयान देने के अयोग्य है, उसकी तरफ से एक नियुक्तकर्ता यह काम करता है;
  - (iii) निष्पादक या प्रबंधक, जैसा कि न्यायालय द्वारा क्रमशः “प्रोबेट” या “प्रबंधन का पत्र” की रचना से साबित होता है कि वह एक मृतक आवेदक या प्राप्तकर्ता का कानूनी रूप से नियुक्त व्यक्तिगत प्रतिनिधि है;
  - (iv) आधिकारिक प्रशासन (अदालत का रजिस्ट्रार) किसी मृतक या प्राप्तकर्ता की संपत्ति का सारांशित तरीके से प्रबंधन करता है।

## बोर्ड का गठन

3. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मुख्य कार्यकारी द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी को उस विभाग द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो बोर्ड को सचिवीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। बोर्ड का सचिव भी सुनवाईयों में शामिल होगा, लेकिन वह निर्णय-प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा क्योंकि वह बोर्ड का सदस्य नहीं है।

## अपील प्रक्रिया

4. समाज कल्याण के निदेशक के निर्णय की अधिसूचना की तारीख से चार सप्ताह के भीतर एक आवेदक, एक प्राप्तकर्ता (या पॉवर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से नियुक्त उसके रिश्तेदार) या एक नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपील दायर की जानी चाहिए। एक मृतक आवेदक या लाभार्थी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि

द्वारा अपील न्यायालय द्वारा “प्रोबेट” या “प्रबंधन के पत्र” के अनुदान की तारीख के चार सप्ताह के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। आधिकारिक प्रशासन द्वारा सारांशित प्रबंधन के मामले में, संपत्ति में दखल की तारीख से चार सप्ताह के भीतर एक अपील दायर की जानी चाहिए। बोर्ड का अध्यक्ष देर से अपील करने की अनुमति दे सकता है यदि वह समझता है कि देरी के कारण स्वीकार योग्य हैं।

5. एक अपील दायर करने के लिए, अपीलकर्ता को चाहिए कि वह एक अपील-पत्र को (या तो अंग्रेजी या चीनी में) पूरा भरे और इसे सामाजिक सुरक्षा अपील बोर्ड या समाज कल्याण विभाग के मुख्यालयों या किसी समाज सुरक्षा क्षेत्र इकाई या समाज कल्याण विभाग के यातायात दुर्घटना पीड़ित सहायता अनुभाग में प्रेषित कर सकते हैं। (पते और टेलीफोन नंबर परिशिष्ट में दिए गए हैं।) अपील-पत्र इन कार्यालयों में उपलब्ध हैं और समाज कल्याण विभाग के होमपेज (<http://www.swd.gov.hk>) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
6. यदि अपीलकर्ता अपनी अपील वापस लेना चाहता है, तो उसे एक वापसी फॉर्म को भरकर उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

## विभागीय समीक्षाएं

7. जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो बोर्ड का सचिव मामले की जाँच करेगा। यदि उसे लगता है कि मामले को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने से पहले उसकी विभागीय समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह संबंधित सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र इकाई के पर्यवेक्षक या यातायात दुर्घटना पीड़ित सहायता अनुभाग से मामले की समीक्षा करने के लिए कहेगा। यदि पर्यवेक्षक निर्णय को बदलने का फैसला करता है, तो अपीलकर्ता को नए फैसले के साथ साथ इसके विरुद्ध अपील करने के उसके अधिकार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। यदि अपीलकर्ता नए निर्णय से संतुष्ट है, तो वह अपील वापस ले सकता है। यदि वह असंतुष्ट रहता है, तो वह नए निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है।

## अपीलों की प्रक्रिया का स्वरूप

### चिकित्सा मूल्यांकन के परिणाम को शामिल न करने वाली अपीलें

8. सामान्य तौर पर बोर्ड अपील की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर मामले की सुनवाई करेगा।
9. अपीलकर्ता और समाज कल्याण के निदेशक दोनों को सुनवाई से पहले लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है।
10. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपने मामले को प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकता है और अपीलकर्ता के लिखित अनुरोध और बोर्ड की सहमति के अधीन, उसकी तरफ से उसका कोई मित्र या रिश्तेदार भी बोल सकता है। सुनवाई में समाज कल्याण के निदेशक का भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। सुनवाई में किसी अन्य व्यक्ति को हाज़िर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई कानूनी प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा।
11. सुनवाई अनौपचारिक होती है और अपीलकर्ता के लिए सुविधाजनक भाषा में आयोजित की जाती है।

### चिकित्सा मूल्यांकन के परिणाम को शामिल करने वाली अपीलें

12. बोर्ड अस्पताल प्राधिकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा अपीलों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा संसाधित किये जाने के लिए आवेदक या प्राप्तकर्ता के चिकित्सा मूल्यांकन से गुजरने के लिए व्यवस्था करेगा।

### बोर्ड के निर्णय

13. बोर्ड या तो उस निर्णय की पुष्टि करेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है या फिर उस निर्णय में परिवर्तन करेगा बशर्ते कि ऐसा निर्णय अनुमोदित सामाजिक सुरक्षा की नीति के अनुरूप हो।
14. उन अपीलों को छोड़कर जिनके लिए चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता होती है, बोर्ड में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर बोर्ड अपील के निर्णय पर पहुँचेगा। किसी विशेष मामले में उसका निर्णय समाज कल्याण के निदेशक के लिए या बोर्ड के सामने आने वाले अन्य मामलों के लिए कोई मिसाल कायम नहीं करेगा।
15. जिन अपीलों के संबंध में चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता होती है, बोर्ड सामाजिक सुरक्षा अपीलों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय के आधार पर अपना निर्णय देगा।
16. बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है और अपीलकर्ता को आगे कोई अपील करने का अधिकार नहीं होता है। हालाँकि, बोर्ड को, अपने स्वयं के निर्णय का आकलन करने का अधिकार है।

### निर्णयों की अधिसूचना

17. उन अपीलों के संबंध में जिनमें चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है, अपीलकर्ता और समाज कल्याण के निदेशक को सामान्य रूप से सुनवाई के तीन सप्ताह के भीतर बोर्ड के निर्णय के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष यदि चाहें तो बोर्ड के निर्णय के कारण बता सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
18. उन अपीलों के संबंध में जिनके लिए चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय की आवश्यकता होती है, सामाजिक सुरक्षा अपीलों के लिए सामान्य रूप से चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता और समाज कल्याण के निदेशक को बोर्ड के निर्णय के बारे में लिखित रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

### अपीलकर्ता द्वारा किये गए यात्रा-व्यय

19. अपीलकर्ता सामाजिक सुरक्षा अपील बोर्ड के कार्यालय में अपील दायर करने और बोर्ड की सुनवाई में भाग लेने के लिए की गई यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। वे जितने यात्रा के किराए का दावा कर सकते हैं, वह परिवहन के सबसे सस्ते साधन द्वारा लिए जाने वाले किराए तक सीमित है। हालाँकि, परिवहन के अधिक महंगे प्रकार के दावों को विकलांग अपीलकर्ताओं या चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करने वाले अपीलकर्ताओं के लिए अनुमति दी जा सकती है।